

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म० प्र०)
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



जबलपुर, दिनांक 18/1/2023

क्रमांक/अका./2023/ 19

प्रति,

प्राचार्य,

1. स्वामी विवेकानन्द शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, नरसिंहपुर।
2. शासकीय रानी दुर्गावती स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मण्डला।
3. श्री नील कण्ठ विधि महाविद्यालय, जबलपुर।
4. हरिसिंह रूपराह कला, वाणिज्य एवं लॉ कॉलेज, जबलपुर।
5. सरदार पटेल लॉ कॉलेज, जबलपुर।
6. श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जबलपुर।
7. श्रीगुरुतेग बहादुर खालसा कॉलेज, जबलपुर।
8. ए.पी.एन. कॉलेज, जबलपुर।
9. मदर टेरेसा लॉ कॉलेज, जबलपुर।
10. सिल्कोबाईट कटनी डिग्री कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, कटनी।
11. कटनी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कटनी।
12. हितकारिणी लॉ कॉलेज, जबलपुर।
13. एन.ई.एस. लॉ कॉलेज, जबलपुर।

विषय :- विधि विषय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु बी.सी.आई. की अनुमति/निरंतरता एवं सम्बद्धता के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ:- क्रं./105/122/आउशि/शा-5/2023, भोपाल, दिनांक 14 जनवरी, 2023

महोदय/महोदया,

उक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 भारतीय विधिज्ञ परिषद (बी.सी.आई.) की अनुमति/निरंतरता प्रमाण-पत्र दिनांक 19/1/23 विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। प्राप्त जानकारी शासन को प्रेषित की जानी है।

कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 18/1/2023

पृ० क्रमांक/अका./2023/ 19

"अ"

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
- 2 कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।

सहायक कुलसचिव(अका०)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर